

नम्बर व तारीख जो इस हुक्म में जारी हुए

FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ..... मुकाम .....  
 ..... बनाम .....  
 करम मुकदमा नं. 39/17 सन् .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
11.6.19	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित पत्रावली में पालना रिपोर्ट प्राप्त नहीं सहसिल द्वार बेगू को पुनः पत्र जारी कर पालना रिपोर्ट चाही जावे। पत्रावली वास्तो पालना में दि. 25.6.19 को पेश हो	
25.6.19	पत्रावली पेश हुई / वकील वादी उपस्थित पत्रावली में पालना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। पत्रावली पालना में दिनांक 23/7/19 को पेश हो।	
23/7/19-	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी द्वारा पत्रावली में सहसिल द्वार बेगू द्वारा जारी पत्रांक 620 दि. 21.6.19 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत रिपोर्ट पर अधिवक्ता वादी को सूचना गयी, पत्रावली अधिसूचना वादी के काल, इसीमां मरु वरु स-प-आता श्रीनिवासु मरु वरु रामलाल गुजर ने देखना करने से मना किया। श्रीनिवासु ने बताया कि पूर्व में मेरा पति वादी मरु वरु था परन्तु अब स्वभावे से होने से मरु वरु नहीं करता है, अब हम अपने पत्र देखना नहीं करवाना चाहते हैं। वादीगण द्वारा वाड पर में वगिरी इसकी पत्र देखना नहीं करवाने व पत्रावली पर अधिसूचना जारी करने से अधिसूचना द्वारा वाड पत्रावली का विभाजन आवाजी नहीं करने से दायर खोज किया जाता है। पत्रावली फिलहाल सुप्रीम की आवक मरु वरु से कर हो।	

23/7/19

कार्यालय तहसीलदार बेगूँ जिला-चित्तौड़गढ़ (राज0)

क्रमांक/राजस्व/2019/ 620  
प्रेषिति:-

दिनांक:- 21/06/2019

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,  
बेगूँ


विषय : दावा संख्या 39/2017 फर्द बंटवारा प्राथमिक डीकी की पालना रिपोर्ट वायत।

महोदय,

निवेदन है कि न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर महोदय बेगूँ के दावा संख्या 39/2017 अनवान भैरूलाल बनाम रामू उर्फ रामलाल गुर्जर के अनुसार विभाजन किये जाने का आदेश हुए। जिसकी पालना में भू.अ.नि. बिछोर द्वारा वादी व प्रतिवादीगण को सूचना के मौके पर पहुंचने पर वादी भैरूलाल, सीमा ना.बा.सं.प. मांता शांतिबाई पत्नि रामू उर्फ रामलाल गुर्जर ने बंटवारा करवाने से मना किया। शांतिबाई ने बताया कि पूर्व में मेरा पति लडाई-झगडा करता था इसलिये वाद दायर किया था। परन्तु अब आपसी समझाईश से लडाई झगडा नही करता है। अतः अब हम खाते का बंटवारा नही करवाना चाहते है। वादी एवं प्रतिवादी की उपस्थिति में पर्चा मौका तैयार किया गया है।

अतः मुल ही भू.अ.नि. बिछोर की रिपोर्ट मय पर्चा मौका संलग्न कर श्रीमान की सेवामे सादर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

  
तहसीलदार  
बेगूँ जिला-चित्तौड़गढ़  
बेगूँ

सेवामें

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

बैंगलूर

मार्फत - श्रीमान तहसीलदार माहण - बैंगलूर

विषय - फर्द बटवाड़ा प्राथमिक डीकी के क्रम में।

प्रसंग - श्रीमान न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

महोदय के निर्णय बाद संख्या 39/2017

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान न्यायालय

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) महोदय के निर्णय  
बाद संख्या 39/2017 में वादी श्रीमलाल सीमा मा.व्य.  
शं.प. माता शांतिबाई अ.रामु अफ. शंमलाल गुजर ने  
बटवाड़ा करवाने से मना किया। शांतिबाई ने बताया  
कि पूर्व में मेरा पति लड़ाई झगड़ा करता था इसलिए  
वाद दायर किया था। परन्तु अब आपसी समझौदा  
से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है अतः अब हम खर्च  
का बटवाड़ा नहीं करवाना चाहते हैं। अतः रिपोर्ट  
श्रीमान की सेवामें आदेशार्थ पेश है।


अलग - पत्नी मांका


Rev  
60  
2016

शं.श.नि.  
बिद्यार  
201619


पचमौका ग्राम खेड़ी (जीपालपुर) दि. 20-6-19


आज दिनांक को श्रीमान न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिक.)  
महोदय खेड़ों के निर्णय वाद संख्या 39/2017 की पालना में  
भैरुलाल बनाम वामू उर्फ वामलाल गुजर प्रकरण में फर्द  
बटवाड़ा बाबत वादी भैरुलाल, सीमा, नाबाबादि माता शांतिबाई  
पति रामलाल गुजर ने बटवाड़ा करने से मना किया। वादी  
गण सरंक्षक शांतिबाई ने बताया कि पूर्व में उत्तका पानी  
छड़ाई झगड़ा करता था एवं हमें कृषि कार्य करने में बाधा  
डालता था परन्तु अब आपसी समझौदा से छड़ाई झगड़ा नहीं  
करता है। अतः हमें बटवाड़ा नहीं करवाना है। अतः पचमौका  
मौका बनाया जाऊँ उपस्थित मौखिकान के हस्तक्षर लिखे गये।

  
पचमौका खेड़ी



श. वि. शांतिबाई  
श्री. राम गुजर  
दि. जीपालपुर

  
1.2.12



श. वि. शांतिबाई  
श्री. राम गुजर  
दि. जीपालपुर

ने. क. क. क.  
(भैरुलाल वि. भैरुलाल गुजर)